रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21112020-223234
CG-DL-E-21112020-223234

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 514]	नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 20, 2020/कार्तिक 29, 1942
No. 514]	NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 20, 2020/KARTIKA 29, 1942

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2020

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) तृतीय संशोधन विनियम, 2020

सं. 11012/248/2015-प्रशा.— भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 9 के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 1996 में आगे और संशोधन करने हेतु एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः**–(1) ये विनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) तृतीय संशोधन विनियम, 2020 कहलाएगें।

   (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रमुख विनियमों की अनुसूची में निम्नलिखित टिप्पणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थातः–

टिप्पणी 1:– अनुसूचियों के कॉलम 5 या कॉलम 8 में जहां कहीं भी प्रतिनियुक्ति को भर्ती पद्धति के रूप में निर्धारित किया गया है वहाँ कॉलम 8 में निर्धारित प्रतिनियुक्ति की अवधि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें कि इस नियुक्ति से ठीक पहले इसी या अन्य संगठन/विभाग में बाह्य संवर्ग के किसी अन्य पद हेतु प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, आमतौर पर 3 वर्ष होगी जिसे अध्यक्ष महोदय, भाराराप्रा के अनुमोदन से 01 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवधि को 04 वर्ष के पश्चात अधिकतम 10 वर्ष तक की अवधि के लिए संतोषजनक निष्पादन की शर्त पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से आगे बढ़ाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, भाराराप्रा के अनुमोदन से महाप्रबंधक स्तर से नीचे के पदों की आरंभिक 3 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि को 02 वर्ष के लिये आगे

बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवधि को 5 वर्ष के पश्चात अधिकतम 10 वर्ष की अवधि तक के लिए संतोषजनक निष्पादन की शर्त पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से और आगे बढ़ाया जाएगाः–

बशर्ते कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर सीईएस (सड़क) के अधिकारियों के संबंध में कार्यकाल को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के समय–समय पर यथासंशोधित कार्यालय ज्ञापन सं. 6/8/2009-स्था. (वेतन-II) दिनांक 17.06.2010 के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

आलोक, सदस्य (प्रशासन)

[विज्ञापन/III/4/ असा. / 373 / 2020-21]

नोटः प्रधान विनियम अधिसूचना सं. भाराराप्रा-12011/1/95-प्रशा; दिनांक 11 मार्च 1996 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में. दिनांक 11 मार्च 1996 को प्रकाशित किया गया था और इनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण के भागः III, खण्ड 4 में दिनांक 07.08.2020 को प्रकाशित अधिसूचना सं. 11012/248/2015 -प्रशा–1 दिनांक 07.08.2020 द्वारा किया गया था।

व्याख्यात्मक ज्ञापनः इस संशोधन की अधिसूचना के पहले किया गया या छोड़ा गया कुछ भी इस संशोधन के प्रख्यापन से प्रभावित नहीं होगा।

NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2020

The National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Third Amendment Regulations, 2020.

No.11012/248/2015-Admn.— In exercise of the powers conferred by section 35 read with section 9 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the National Highways Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1996, namely.—

1. **Short title and commencement.—** (1) These regulations may be called the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Third Amendment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the principal regulations, the following note shall be substituted, namely.-

Note I- Wherever the deputation is prescribed as a mode of recruitment in Column-5 or Column-8 of the Schedules, the period of deputation prescribed in Column 8 thereof shall be substituted, namely .-

The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department shall ordinarily be 3 years which may be extended for another 01 year with the approval of Chairman, NHAI. Further extension beyond 4th year and up to a maximum of 10 years shall be with the approval of the Ministry of Road Transport and Highways subject to satisfactory performance. For posts below GM level, the period of deputation beyond 03 years may be extended for another 02 years with the approval of Chairman, NHAI. Further extension beyond 5th year and up to a maximum of 10 years shall be with the approval of the Ministry of Road Transport and Highways subject to satisfactory performance.

Provided that the tenure in respect of officers of CES (Roads) on deputation to NHAI shall be regulated in terms of DoPT OM No. No. 61812009-Estt. (Pay II) dated 17.6.2010, as amended from time to time.

Alok, Member (Administration)

[ADVT.-III/4/Exty./373/2020-21]

Note: The principal regulations were published vide notification No.NHAI-12011/1/95-Admn., dated 11th March, 1996, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 11th March, 1996 and last amended vide

notification no.11012/248/2015-Admn., dated 07.08.2020 in the **Gazette** of India, Extraordinary, Part III Section 4, dated 07.08.2020.

Explanatory Memorandum: Anything done or omitted to be done prior to notification of this amendment shall not be affected by promulgation of this amendment.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.11.21 14:51:41 +05'30'